



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 20.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मो0 यासीन पुत्र अहमद हुसैन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष सम्पूर्णानगर के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, वाद संख्या 2565/16 धारा 498ए, 323 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना सम्पूर्णानगर खीरी व वाद सं0 930/23 धारा 128 द0प्र0सं0 थाना गोला खीरी में वारण्टी अभियुक्त मो0 यासीन पुत्र अहमद हुसैन निवासी ग्राम त्रिकोलिया थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

मो0 यासीन पुत्र अहमद हुसैन निवासी ग्राम त्रिकोलिया थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 हरिनाथ पाल थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
- 2.हे0का0 जितेन्द्र कुमार थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, बाकेंगज में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हुये विवाद से संबंधित अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मैलानी के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा दिनांक-15.04.2026 को पंजीकृत मु0अ0स0 - 83/26 धारा 191(2),191(3),190,326(F),109(1),310(2),121(1),132,324(5),61(2),126(2) BNS व धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधि0 थाना मैलानी जिला खीरी मे प्रकाश मे आये 02 अभियुक्तो 1.सुशील कुमार पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम महरताला थाना मैलानी जिला खीरी 2.अमित कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बरगदिया थाना मैलानी जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुशील के कब्जे से एक अदद सरकारी हेल्मेट तथा अभियुक्त अमित के कब्जे से एक अदद सरकारी डण्डा बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.सुशील कुमार पुत्र लालजी प्रसाद उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम महरताला थाना मैलानी जिला खीरी
- 2.अमित कुमार पुत्र बाबूराम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरगदिया थाना मैलानी जिला खीरी

बरामदगी -

एक अदद सरकारी डण्डा व एक अदद सरकारी हेल्मेट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह यादव चौकी प्रभारी संसारपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 2.उ0नि0 श्री अबलीश कुमार चौकी प्रभारी कुकरा थाना मैलानी जिला खीरी
- 3.हे0का0 देवेन्द्र शर्मा थाना मैलानी जिला खीरी
- 4.का0 सौरभ कुमार थाना मैलानी जिला खीरी
- 5.का0 दीपक सोलंकी थाना मैलानी जिला खीरी
- 6.का0 दीपक चन्द्रा थाना मैलानी जिला खीरी
- 7.का0 रजनीकान्त थाना मैलानी जिला खीरी
- 8.का0 शैलेन्द्र थाना मैलानी जिला खीरी
- 9.म0का0 प्रिया शर्मा थाना मैलानी जिला खीरी
- 10.म0का0 कामिनी थाना मैलानी जिला खीरी

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मुनीर पुत्र कय्यूम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष शारदानगर के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, मु0सं0 864/2017 धारा 379/411 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मुनीर पुत्र कय्यूम ठेकेदार ग्राम बडागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1. मुनीर पुत्र कय्यूम ठेकेदार ग्राम बडागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 ऋषिराज पाण्डेय थाना शारदानगर खीरी,
2. का0 करन कुमार थाना शारदानगर खीरी,
3. का0 शिवम मिश्रा थाना शारदानगर खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त परवेज खान पुत्र राजू खान को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक फरधान के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना फरधान पुलिस द्वारा, मु0सं0 332/2026 धारा 125 बीएनएसएस से संबंधित भरण पोषण वसूली वारण्टी अभियुक्त परवेज खान पुत्र राजू खान निवासी खानपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

परवेज खान पुत्र राजू खान निवासी खानपुर थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना फरधान जनपद खीरी
- 2.का0 विकास मौर्या थाना फरधान जनपद खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया; अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल एक अदद डण्डा बरामद



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 298/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्या जैसी जघन्य घटना कारित करने वाले अभियुक्त रंजीत कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम सफीपुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कल्ल एक अदद डण्डा बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम सफीपुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

बरामदगी का विवरण

आला कल्ल एक अदद डण्डा बरामद होना ।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्म0गण का नाम

1. निरीक्षक संतोष कुमार शुक्ला कोतवाली सदर जिला खीरी
2. हे0का0 ज्ञानवर्धन सिंह कोतवाली सदर जिला खीरी
3. का0 जोनी कुमार कोतवाली सदर जिला खीरी
4. का0 संजीव कुमार कोतवाली सदर जिला खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, हत्या के प्रयास की घटना में वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया; अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा-कारतूस बरामद



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 299/2026 धारा 109(1)/126(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित हत्या का प्रयास जैसी जघन्य घटना कारित करने वाले अभियुक्त कृष्णा गोपाल रस्तोगी पुत्र स्व0 राममूर्ति रस्तोगी नि0मो0 खनिया टोला कस्बा व थाना खीरी जिला खीरी को मुकदमा पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कृष्णा गोपाल रस्तोगी पुत्र स्व0 राममूर्ति रस्तोगी नि0मो0 खनिया टोला कस्बा व थाना खीरी जिला खीरी

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद होना ।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्म0गण का नाम

- 1.उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय कोतवाली सदर जिला खीरी
- 2.हे0का0 अम्बल सिंह कोतवाली सदर जिला खीरी
- 3.का0 गौरव पाठक कोतवाली सदर जिला खीरी